FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत––जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

दिनेश बनाम भागचन्द

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 नम्बर–14 सन्– 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.1.2026	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी भागचन्द पुत्र नंदा जाति कीर निवासी बापी को आराजी खसरा नंबर 1635/1 रकबा 0.40है0 को इस प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 के द्वारा चुनौती दी गई है। आवंटी/गैर खातेदार भागचन्द पुत्र नन्दा जाति कीर निवासी बापी को ग्राम बापी स्थित आराजी खसरा नंबर 1635/1 रकबा 0.40है0. भूमि का दिनांक 21.6.1989 को आवंटित की गई थी। आवंटन की कार्यवाही मजमें आम में नहीं हुई है तथा आवंटन नियमानुसार आवंटन कमेटी की कोरम द्वारा पूर्ण कोरम में नहीं किया गया है। अप्रार्थी की आवंटित भूमि पर आवंटी का आज दिनांक तक कब्जा काश्त नहीं रहा है ना ही वर्तमान में कब्जा है। आवंटित भूमि आवंटन के वक्त खाली नहीं थी। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा गुपचुप में भूमि का आवंटन किया गया है। आवंटी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है। आवंटन कमेटी ने साबिक रिकार्ड का अवलोन किये बिना ही उक्त आवंटन किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटी भाचन्द पुत्र नन्दा कीर को ग्राम बापी स्थित आराजी खसरा नंबर 1635/1 रकबा 0.40है0 भूमि का आवंटन जो कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 21.6.1989 को किया गया है, को खारिज फरमाया जावे। राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा आवंटी भागचन्द पुत्र नन्दा जाति कीर को ग्राम बापी स्थित आराजी खसरा नंबर 1635/1 में से 0.40है0 भूमि का आवंटन जो कि आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक 21.6.89 को किया गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नही करने पर तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत 14(4) आवंटन नियम 1970 के तहत माननीय न्यायालय जिला कलक्टर दौसा में प्रा0पत्र सं0 97/2010 प्रस्तुत किया गया था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाकर निर्णय दिनांक 14.6.2023 के द्वारा प्रश्नगत आवंटन को निरस्त किया जा चुका है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। हमने पत्रावली क़ा आवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय जिला कलक्टर दौसा का निर्णय दिनांक 14.6.2023 का अवलोकन किया गया। उक्त आदेश में भूमि पर आवंटी के कब्जा न होने व आवंटी के आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने पर निर्णय पारित किया गया है जिसमें आवंटी को ग्राम बापी स्थित आराजी खसरा नंबर 1635/1 रकबा [illegible] का आवंटन खारिज किया गया है। अब पुनः प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के आधार [illegible] का कथन करते हुए प्रस्तुत की गई है। उक्त बिन्दुओं पर पूर्व में ही इस न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है। अतः रेस जुडिकाटा के सिद्धान्त के अनुरूप न्यायालय पुनः उन्ही बिन्दुओं पर विचार नहीं कर सकता। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख आदेशिका की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो। खुले न्यायालय सुनाया गया। Devendra जिला कलेक्टर,दौसा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.02.20 10:32:29 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official